



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 592 राँची, बुधवार,

1 दिसम्बर, 2021 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

26 नवंबर, 2021

संख्या--ख०नि०(विविध)-62/2021-2381--एम०, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित, 2021 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निरूपित विभिन्न निमयावलियों/प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में खनन पट्टाधारी, समेकित अनुज्ञप्तिधारक एवं पूर्वक्षण अनुज्ञप्तिधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संबंधित अनुदान को परिसमाप्त करने का प्रावधान वर्णित है।

2). कतिपय मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने का आदेश दिया जाता रहा है। प्रत्येक मामले में पृथक रूप से राज्य सरकार से आदेश प्राप्त कर अधीनस्थ पदाधिकारी को प्राधिकृत किए जाने में उक्त कार्य में विलम्ब की संभावना बनी रहती है।

3). अतएव उक्त को दृष्टिगत रखते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-26(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को खनन पट्टाधारी, समेकित अनुज्ञप्तिधारक एवं पूर्वक्षण अनुज्ञप्तिधारकों एवं अन्य संबंधित के द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित, 2021, खनिज समनुदान नियमावली, 1960, खनिज (परमाणु एवं

हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा) रियायती नियम, 2016 यथा संशोधित, 2021, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 यथा संशोधित, 2021, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 यथा संशोधित, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन के बावत संबंधित अनुदान के परिसमाप्ति के मामले में सुनवाई कर मंतव्य गठित करने/प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

4). उक्त सुनवाई के उपरांत गठित मंतव्य/प्रतिवेदन पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर ही तत्संबंधी आदेश/पत्र को निर्गत किया जाएगा ।

5). तत्संबंधी इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निदेश को इस हद तक संशोधित समझी जाएगी ।

6). उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

7). यह अधिसूचना झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हरि कुमार केशरी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
